132

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: योoबo2/1–25/2018–९११४ /योoविo,पटना,दिनांक 12 मार्च, 2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भाoप्रoसेo),,
सरकार के अपर सचिव

सेवा मे,

महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

द्वारा वित्त विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत "ईo किसान भवन" निर्माण हेतु ₹10,00,00,000/–(दस करोड़) रूपये मात्र की राशि की व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के तृतीय अनुपूरक आगणन अंतर्गत "ईo किसान भवन" निर्माण हेतु निम्न राशि की व्यय की स्वीकृति दी जाती है :–

क्रo	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	35–4401000510102	8,30,00,000/–
2	35–4401007890104	1,60,00,000/–
3	35–4401007960102	10,00,000/–
		₹10,00,00,000/–

(दस करोड़) रूपये मात्र।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0102–कृषि विभाग के भवन, विपत्र कोड–35-4401000510102, मुख्य शीर्ष–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0104–कृषि विभाग के भवन, विपत्र कोड–35-4401007890104 तथा मुख्य शीर्ष–4401– फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष–0102–कृषि विभाग के भवन, विपत्र कोड–35-4401007960102 विस्तृत शीर्ष–53 मुख्य निर्माण कार्य के विषय शीर्ष–01–मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1/2 होंगे।

संचिका संख्या–योoबo2/1–25/2018 के पृष्ठ संख्या 18/टिo पर विभागीय सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं पृष्ठ संख्या 18/टिo पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. इस राशि का उपयोग इसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(31)

5. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहित तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानो तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशो का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6. कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

7. इस राशि के व्यय के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होगी।

8. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 11/03

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः योॅ0ब02/1–25/2018–1118 /यो0वि0,पटना,दिनांक 12 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/03
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0ब02/1–25/2018–1118 /यो0वि0,पटना,दिनांक 12 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, चतुर्थ तल, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/03
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0ब02/1–25/2018–1118 /यो0वि0,पटना,दिनांक 12 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग, योजना एवं विकास विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1 एवं 2, बिहार/लेखाशाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/03
सरकार के अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना